भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह में माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया के सम्बोधन का प्रारूप

दिनांक : 19 मई 2024, शनिवार	समय : 5:00PM	स्थान : आईआईटी, गुवाहाटी

- गौहाटी हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश
  जस्टिस मानस रञ्जन पाठक जी,
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी, असम (NLUJAA) के कुलपति
  रिटायर्ड जस्टिस मीर अल्फाज अली जी,
- भारती विधि संस्थान, दिल्ली के निदेशक
  डॉ. वी.के. आहूजा जी,
- कानून एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के सचिव **डॉ. राजीव मणि जी**,
- उपस्थित अन्य अतिथिगण,
- सम्मेलन में भाग लेने वाले पैनलिस्ट सदस्यों,
- मीडिया के हमारे मित्रों,
- देवियों और सज्जनों,

नमस्कार!

1. **"भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली-एक प्रगतिशील कदम"** विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय और मेरी असम सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

2. ब्रिटिश काल से चली आ रही हमारे देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की जगह **भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023,** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** और भारतीय साक्ष्य एक्ट, 1872 (आईईए) की जगह **भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023** कानून को लाया गया है। ये अपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

ये तीनों नए कानून अंग्रेजों के समय से चले आ रहे औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के अंत का प्रतिक हैं। इसका उद्देश्य भारतीय विचार को न्याय प्रणाली में जगह देना है। ये सुधार देश के कानूनी ढ़ांचे को आधुनिक बनाने, दक्षता बढ़ाने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

3. हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी फल-फूल रही है, किंतु हमारी न्याय प्रणाली ब्रिटिश शासन द्वारा लगाई गई सीमाओं की जंजीरों के बोझ से दबी हुई थी। इसलिए इसमें बदलाव करना भारत के भविष्य की मांग थी।

4. देश की आजादी के बाद 1950 में, भारत ने लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संहिताबद्ध संविधान के रूप लोकतांत्रिक प्रयोग की शुरुआत की थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा अपनी सुगमता के लिए बनाए गए कानूनों को बदला नहीं गया था।

लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से आजादी के 75 वर्ष के लंबे समय के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव किया गया है। ये बदलाव भारत के नागरिकों की जरूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप हैं। मैं समझता हूं कि यह देश को विश्व गुरु मनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

5. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे न्यायालयों में उन सभी प्रथाओं की समीक्षा करने की जरूरत है, जो अभी भी प्रक्रिया गत रूप से ब्रिटिश विरासत से आई है। वास्तव में हमारी कानूनी संस्कृति का तेज गति से भारतीयकरण करने की आवश्यकता है।

6. देवियो और सज्जनो,

भारत की आपराधिक प्रणाली में किए गए बदलाव तथा नए कानूनों के प्रति लोगों को, विशेष रूप से विभिन्न हितधारकों और कानूनी बिरादरी के बीच जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों को इन नए कानूनों के बारे में बताना चाहिए कि कैसे ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में हमारे प्रशासन की मदद कर सकते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि देश भर में ऐसे सम्मेलन हमारे विकास के पथ को तैयार करने और मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

7. मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन के माध्यम से कानून के जानकारों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विद्वानों को आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा एवं अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्राप्त हुआ है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन तीनों नए कानूनों के प्रति हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और इसे लागू करने में सहायक सिद्ध होगा।

8. देवियो और सज्जनो,

पिछला एक दशक हमारे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान कई ऐसे पल आए, जिन्होंने देशवासियों का गौरव बढ़ाया। गंभीर वैश्विक चिंताओं के बीच, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया। हमने 'आदित्य मिशन' भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऐतिहासिक 'जी-20 शिखर सम्मेलन' की सफलता ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और लोकतंत्र की जननी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया।

हमारे देश ने पहली बार एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल "अटल सेतु" मिल गया। भारत को दुनिया में सबसे तेजी से 5जी नटवर्क का प्रसार करने वाला पहला देश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।

9. कोई भी राष्ट्र तभी तेज गति से प्रगति कर सकता है, जब वह पिछली चुनौतियों पर काबू पाकर भविष्य में अधिक ऊर्जा के साथ काम करे। पिछले दशक में, भारत में राष्ट्रीय हित में कई विकास हुए हैं। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। संसद ने 'तीन तलाक' के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया। संसद ने हमारे पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए एक कानून भी बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र का पहला सेट सौंपा गया है।

पिछले 10 वर्षों में सांसदों के सहयोग से कई महत्वपूर्ण कानून भी पारित किये गये। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

10. वर्तमान युग मे कानून की व्यवस्था और भारत के सोचने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। न्यायपालिका और यहां तक कि वकील भी पहली बार न्याय प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण और डिजिटल मोड की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में सभी आपराधिक कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक मोड की अनुमति दी गई है।

11. गुलामी के युग में जड़ें जमाने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली अब इतिहास बन जाएंगी। अब, सजा पर न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। देश को 'न्याय प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित एक नई न्याय संहिता मिली है।

आपराधिक मामले में ये नए कानून मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और कानून के शासन को कायम रखेगा। ये न्याय में देरी को कम करने और न्याय वितरण को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में भी सहायक होगा।

12. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की प्रतिबद्धता के साथ बहुत समर्पित होकर काम कर रही है। ये नए अधिनियम हमारी कानूनी प्रणाली में सुधार लाने के अलावा बदलते समय और सामाजिक परिवर्तनों के मद्देनजर सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान करेंगे।

13. मुझे विश्वास है कि ये कानून डिजिटल युग में अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इन नए अधिनियमों से न्यायिक मामलों का तेजी से निपटारा होगा। इससे बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को निपटाने और तेजी से न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, ये तीनों कानून अधिक समावेशी कानूनी प्रथाओं को लाने में मदद करेगा। मैं समझता हूं कि इन कानूनों में 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखने की क्षमता है।

14. अंत में, मैं आप सभी लोगों, हितधारकों तथा कानून बिरादरी से आग्रह करता हूं कि आप इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करें।

15. मैं पुनः इस अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने में उनके योगदान के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।